संख्या– 139 /XV-3/2019-08(13)/2016

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 11 मार्च ~~फरवरी~~, 2019

विषय– **भारत सरकार के ब्लू रिवोलयूशन : मात्स्यिकी का समन्वित विकास एवं प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित "शीतजल मात्स्यिकी विकास (नील क्रांति) योजना" अन्तर्गत वर्ष 2018–19 हेतु राज्यांश धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–11066/शीतजल मा०/2018–19, दिनांक 02 फरवरी, 2019 के प्रस्तावानुसार तथा भारत सरकार के पत्र संख्या–J-1203113/18/2018-Fy, दिनांक 29.11.2018 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में ट्राउट रेसवेज निर्माण एवं ट्राउट रेसवेज में इनपुट हेतु कुल रू० 650.50 लाख {रू० 258.93 लाख (केन्द्रांश) + रू० 28.77 लाख (राज्यांश) + रू० 362.80 लाख (लाभार्थी अशं)} के अनुमोदित कार्यों हेतु ब्लू रिवोलयूशनः मात्स्यिकी का समन्वित विकास एवं प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित "शीतजल मात्स्यिकी विकास (नील क्रांति)" योजना में संलग्न परिशिष्ठ 'क' की तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु संलग्न परिशिष्ठ–'ख' की तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित जनपदों हेतु स्तम्भ–24 के विवरण के अनुसार राज्याशं धनराशि **रू० 28.77 लाख (रूपये अठाईस लाख, सत्तत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII (1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 व शासनादेश संख्या–1432/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) भारत सरकार के पत्र संख्या–J-1203113/18/2018-Fy, दिनांक 29.11.2018 एवं सुसंगत आदेशों का का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(3) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी **Allotment ID** की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण **DBT** के माध्यम से किया जायेगा तथा लाभार्थियों के चयन व योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(8) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

क्रमशः.....2

(9) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(10) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र, व्यय विवरण एवं लाभार्थियों की सूची **फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्यौरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदान संख्या–28 में लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–01–केन्द्रीय आयोजित/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–01 04 **"शीत जल मात्स्यिकीय विकास (नील क्रान्ति)"** –मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–230/XXVII-4/2019, दिनांक 26 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु **Allotment ID.**S1903280061, दिनांक 06/03/19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 139 ( )/XV-3/2019-08(13)/2016,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/बागेश्वर।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र बहादुर)
अनु सचिव।

क्रमशः......3

मार्च परिशिष्ट—क

शासनदेश संख्या— 139 /XV-3/2019-08(13)/2016, दिनांक 11 ~~फरवरी~~, 2019 का संलग्नक

शीतजल मात्स्यिकी विकास (नील क्रांति) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में रू० 258.93 लाख के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण

1— ट्राउट रेसवेज निर्माण

क्र0 सं0	जनपद	ट्राउट रेसवेज निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य श्रेणीवार			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	कुल
1—	चमोली	30	-	10	40
2—	रूद्रप्रयाग	20	-	-	20
3—	टिहरी	20	-	-	20
4—	उत्तरकाशी	36	13	-	49
5—	पिथौरागढ़	-	-	10	10
6—	बागेश्वर	8	2	-	10
	योग	**114**	**15**	**20**	**149**

2— निर्मित ट्राउट रेसवेज हेतु इनपुट

क्र0 सं0	जनपद	निर्मित ट्राउट रेसवेज हेतु इनपुट के निर्धारित लक्ष्य श्रेणीवार			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	कुल
1—	चमोली	30	-	2	32
2—	रूद्रप्रयाग	20	-	-	20
3—	टिहरी	20	-	-	20
4—	उत्तरकाशी	36	13	-	49
5—	पिथौरागढ़	-	-	10	10
6—	बागेश्वर	8	2	-	10
	योग	**114**	**15**	**12**	**141**

(चन्द्र बहादुर)
अनु सचिव।

शासनदेश संख्या– 139 /XV-3/2019-08(01)/2017, दिनांक 11 मार्च ~~फरवरी~~, 2019 का संलग्नक

परिशिष्ट–ख

मिशन फिंगरलिंग (नील क्रांति) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू० 5.305 लाख के सापेक्ष वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	फिश सीड रियरिंग यूनिट का निर्माण						निर्मित फिश सीड रियरिंग यूनिट की स्थापना					
		कुल लक्ष्य – हैक्टेयर में (सामान्य वर्ग)	प्रोजेक्ट धनराशि	देय अनुदान			लाभार्थी अंश	कुल लक्ष्य -- हैक्टेयर में (सामान्य वर्ग)	प्रोजेक्ट धनराशि	देय अनुदान			लाभार्थी अंश
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1–	हरिद्वार	6.85	41.100	14.796	1.644	16.440	24.660	6.85	10.275	3.699	0.411	4.110	6.165
2–	उधमसिंहनगर	9.5	57.000	20.520	2.280	22.800	34.200	9.5	14.250	5.130	0.570	5.700	8.550
	योग	**16.35**	**98.100**	**35.316**	**3.924**	**39.240**	**58.860**	**16.35**	**24.525**	**8.829**	**0.981**	**9.810**	**14.715**

Table Continue:--------

क्र0 सं0	जनपद	लघु फीड मिल की स्थापना						योग				
		कुल लक्ष्य – संख्या में (सामान्य वर्ग)	प्रोजेक्ट धनराशि	देय अनुदान			लाभार्थी अंश	प्रोजेक्ट धनराशि	देय अनुदान			लाभार्थी अंश
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग			केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
-1-	-2-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-	-23-	-24-	-25-
1–	हरिद्वार	1	10.000	3.600	0.400	4.000	6.000	61.375	22.095	2.455	24.550	36.825
2–	उधमसिंहनगर	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	71.250	25.650	2.850	28.500	42.750
	योग	**1**	**10.000**	**3.600**	**0.400**	**4.000**	**6.000**	**132.625**	**47.745**	**5.305**	**53.050**	**79.575**

नोटः–कुल रूपये पाँच लाख, तीस हजार, पाँच सौ मात्र राज्याशं की धनराशि स्वीकृत
{कुल देय अनुदान (कालॅम–23 = कालॅम 6 + 12 + 18)}

(चन्द्र बहादुर)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Fisheries (S014)

आवंटन पत्र संख्या - **139/XV-3/2019-08(13)/2016**

अलोटमेंट आई डी - S190328006

अनुदान संख्या - 028

आवंटन पत्र दिनांक ~06-Mar-2019

HOD Name - Director Fisheries (4362)

1: लेखा शीर्षक 2405 - मछली पालन 00

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (75% के0स0)

04 - शीत जल मात्स्यिकीय विकास (नील क्रांति)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	25893000	2877000	28770000
	25893000	**2877000**	**28770000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2877000